संख्या : बी–1–547/दस–2012–231/2012

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनाँक : 20 मार्च, 2012

विषय : वित्तीय वर्ष 2012–2013 के प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2012 तक) के लिये स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–3520/दस–2011–231/2012 दिनाँक 16 दिसम्बर, 2011 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–2013 के प्रथम चार माह के लिये स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं ।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–2013 की लेखानुदान अवधि में समस्त योजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रशासकीय विभागों द्वारा समग्र रूप से वस्तु स्थिति निरूपित करते हुए सक्षम स्तर (विभागीय मंत्री/माननीय मुख्य मंत्री जी) का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त जारी की जायेंगी ।

3– वित्तीय वर्ष 2012–2013 की लेखानुदान अवधि में वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने सम्बन्धी उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनाँक 16 दिसम्बर, 2011 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी ।

भवदीया,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव ।

संख्या : बी–1–547(1)/दस–2012–231/2012, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2– प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4– प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा, सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
6– वित्त विभाग के समस्त व्यय–नियंत्रण अनुभाग एवं उनसे सम्बद्ध अधिकारी ।
7– सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
8– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव ।